न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 4/2019 निर्णय दिनांक :– 26-12-19

उनवान

1. ग्यारसीलाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामकुवार शर्मा, उम्र 62 साल, जाति ब्राहमण, निवासी रुपाहेडीखूर्दमयबापूर्गाँव, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान

––प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बापूर्गाँव, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राज0 जरियें सरपंच।
2. तहसीलदार, तहसील कोटखावदा, जयपुर, राज0द्य
3. भू अभिलेख निरीक्षक कोटखावदा।
4. हल्का पटवारी बापूर्गाव श्री रोहित कुमार सैन।

––रेस्पोडेन्ट(अप्रार्थीगण)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

——अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 859 दिनांक 05.03.2019

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश की गयी कि :–

रूपाहेडीखुर्दमयबापूर्गॉय, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान, में खाता संख्या 88 नया, सम्वत 2069–72 में कुल किता 1 रकबा 0.04 है0 में हिस्सा जमाबन्दी अनुसार एवं खाता संख्या 93 नया, सम्वत 2069–72 में कुल किता रकबा 2.69 है0 में हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अनुसार की खातेदारी भूमि बद्री पुत्र रामकुवार, जाति ब्राहमण, निवासी रूपाहेडीखूर्दमयबापूर्गॉव, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है के द्वार एक रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 07.11.2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 137 क्रम संख्या 1834 के पृष्ठ संख्या 92 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 419 पृष्ठ संख्या 105–108 को पंजीबद्द किया जाकर अपना सम्पूर्ण हिस्सा मुझ अपीलान्ट प्रार्थी के हक में किया गया था। रूपाहेडीखुर्दमयबापूर्गांव, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान में हक काश्त खातेदारी भूमि जो कि – खाता न0 245 नया, सम्वत 2073–2076, मे खसरा न0

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

681 रकबा 0.03 है0 कुल किता 1 रकबा 0.03 है0, में हिस्सा 1/32 व हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 1/32 का, खाता न0 104 नया, सम्वत 2073–2076, मे खसरा न० 120 से 122, 640, 641, 642/2471, 645/2470, 645/2548, 649/2547, 669 से 674, 675/2552, 676 से 680, 686/2551, 917 से 918, 968 से 969, 1005 से 1006 कुल किता 28 कुल रकबा 6.43 है0 में हिस्सा 1/16 व हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 1/16 का, हे खाता न0 67 नया, सम्वत 2073–2076, मे खसरा न0 896/2267 , 896/2486 898/2268, 898/2487, 899 से 907 कुल किता 13 रकबा 3.39 है0 में हिस्सा 1/96 व हिस्सा 1/24 में से हिस्सा 1/96 का जरिये हक त्याग से मेरे सगे भाई द्वारा दिनांक 05.11.2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 157 के पृष्ट संख्या 140 के क्रम संख्या 201803422101463 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 483 के पृष्ठ संख्या 53 से 62 पर पंजीबद्ध किया जाकर मुझ अपीलांट प्रार्थी के हक में हक त्याग कर दिया गया था। उक्त दोनों हक त्याग पत्र दिनांक 07.11.2016 तथा दिनांक 05.11.2018 का नामान्तकरण खोलनें के लिये मुझ प्रार्थी के द्वारा तत्समय हल्का पटवारी श्री रोहित सैन को दिया गया था। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्रों की अनदेखी करते हुये उक्त दस्तावेजों को साईड में पटक दिया गया था। मुझ अपीलान्ट प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के द्वारा कई बार बार बार उक्त दस्ताबेजात की फोटो प्रति उपलब्ध करवाने के बाबत भी हल्का पटवारी किसी तरह की कोई कार्यवाही नही की गई थी। उक्त हल्का पटवारी श्री रोहित सैन की हरकतों से परेशान होकर मुझ अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष उक्त रजिस्टर्ड हकत्याग पत्रों के नामान्तकरण की कार्यवाही के लिये एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही हेतू अप्रार्थी संख्या 4 को कमांक 4310 दिनांक 26.12.2018 को आदेश जारी किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2018 की प्रति प्राप्त होनें के पश्चात अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा उक्त रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 07.11.2016 तथा दिनांक 05.11.2018 उक्त नामान्तकरण संख्या 859 भरा गया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा तत्समय दिनांक नहीं डाली गई थी। क्योंकि उक्त अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अक्सर नामान्तकरण भरने की दिनांक नामान्तकरण जिल्द में नही भरी जाती है तथा अपनी इच्छानुसार मनमुताबिक हिसाब से तारीख अंकित की जाती है। उक्त अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 859 दिनांक 25.03. 2019 की दिनांक उक्त नामान्तकरण में डाली गई तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.03.2019 को जॉच रिपोर्ट कर दी गई तथा अप्रार्थी संख्या जो ग्राम पंचायत रूपाहेडीखूर्दमयबापूगॉव है ने उक्त नामान्तकरण को दिनांक 05.03.

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

2019 को ग्राम पंचायत की कोरम की पूर्ण सहमति से उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 859 दिनांक 05.03.2019 जो विधि विधान तथा तथ्यों के विपरित होनें के कारण निरस्तनिय है क्योकि अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा दिनांक 25. 03.2019 को भरा गया जाना अंकित है तथा अप्रार्थी संख्या 3 दिनांक 25.03.2019 को जॉच कर दिया था तथा अप्रार्थी संख्या के द्वारा दिनांक 05.03.2019 को स्वीकार कर लिया गया था। जो कि नियमों के विरूद्द कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा अक्सर यह किया जाता है कि जिस नामान्तकरण में या जिस कार्य का करने के ऐवज में पैसें दे दिये जाते है उसमें उक्त पटवारी अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा विधिवत मय हस्ताक्षर दिनांक संहीत कार्य को पूर्ण किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 4 ने उक्त नामान्तकरण तो माह फरवरी मे भर दिया गया था। मगर उक्त नमान्तकरण भरने की तारीख नही डाली गई थी तथा उसके साथ साथ अप्रार्थी संख्या 3 ने भी जॉच की तारीख अंकित नहीं की जाकर केवल हस्ताक्षर ही किये जाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 3, 4 ने ग्राम पंचायत बापूर्गांव में अपने निजी सहायक रामस्वरूप बैरवा को उक्त नामान्तकरण जिल्द देकर भेज दिया। जिसको ग्राम पंचायत बापूर्गाव ने सर्व सम्मति से उक्त नामान्तकरण को दिनांक 05.03.2049 को प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

लेकर सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मुझ प्रार्थी के द्वारा उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति मॉगनें पर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 टालम टोल करते रहे तथा दो माह पश्चात कहॉ कि आपके सरपंच ने उक्त नामान्तकरण में दिनांक 05.03.2019 डाल दी तथा हमनें अप्रार्थी संख्या 3, 4 ने उक्त नामान्तकरण में दिनांक 25.03.2019 डाल दि। जिसको हम सही करवा कर कॉपी मुझ प्रार्थी को दे देगें। तत्श्चात अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 द्वारा एक राय होकर अपने पद का दुरूप्योग करते हुये एवं राजस्व रिकार्ड में हेराफेशी कर के सेग्रीकेशन की वर्तमान जमाबन्दी तहरीर किया जाकर उक्त नामान्तकरण संख्या 859 को वर्तमान जमाबन्दी में अमल दरामद होना केवल कागजी कार्यवाही में कर दिया गया। परन्तु वास्तविक में उक्त नामान्तकरण संख्या 859 वर्तमान जमाबन्दी में कही भी अमल दरामद आज दिनांक तक नही हुआ है। जिसमें कारण मुझ अपीलान्ट प्रार्थी को कई परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। सरकार भूमिधारी है। जो राजस्व रिकार्ड का रख रखाव करते है जो आवश्यक फरीक मुकदमा होने के कारण उनकों प्रतिवादी संख्या 2 बनाया गया है। अपील अन्दर मियाद कानून मियाद है एवं अपील उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अपील को सुनने व तय करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। खर्चा अपील अपीलान्ट प्रार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 से दिलावाया जाना आवश्यक है एवं

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अन्य अनुतोष जो अपीलान्ट प्रार्थी के हक में हो अदा फरमाने की कृपा करे। क्योंकिं इनके द्वारा किया गया कृत्य भूल वश नहीं किया जाकर जानबूझ कर मुझ प्रार्थी से रंजीश रख कर किया गया है। अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश कर निवेदन है कि उक्त नामान्तकरण संख्या 859 को अपास्त कर पुनः सुनवाई के लिये अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष समय सीमा निधारीत करतें हुये भेजी जाकर विधिवत निर्णय पारीत करने के आदेश प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की कृपा करे तथा दोषी कर्मचारीयों अप्रार्थी संख्या 3, 4 के खिलाफ अपने पद का दुरूप्योग करने एवं दस्तावेजों में हेराफेरी करने के खिलाफ कार्यवाही करते हुये मुझ प्रार्थी को मय हर्जा खर्चा दिलवाने सहीत कार्यवाही करने की कृपा करे। अपील अपीलांट द्वारा पेश किये जाने पर अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गयी तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हाजीर अदालत आये व 2 व 3 की तामील अदम तरमीम प्राप्त हुयी। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपील का जवाब पेश किया कि जो इस प्रकार पेश किया ग्रम रूपाहेडी खुर्द मय बापूगांव के नामान्तकरण संख्या 859 किस्म हकत्याग पत्र को दिनांक 25.03.2019 पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया । जिसे आईएलआर कोटखावदा ने 25.03.2019 को ही जांच किया। तत्कालीन पटवारी हल्का रोहित सेन ने अपनी निजी सहायक द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नामान्तकरण पंजिका को सरपंच ग्राम पंचायत रूपाहेडी खुर्द मय बापूगांव को तस्दीक हेतु भिजवाई गई। निजी सहायक ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा मिटिंग दिनांक 05.03.2019 की कार्यवाही रजिस्टर की प्रोसेडिंग को खुला रखा गया था उसी दिनांक को उक्त नामान्तकरण दिनांक 05.03.2019 को ही स्वीकार कर दिया गया। दिनांक 10.03.2019 के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने से मिटिंग कार्यवाही स्थगित हो गयी थी। उक्त नामान्तकरण को सेग्रीगेशन जमाबंदी में अमल नही किया गया। लेकिन पटवारी द्वारा सहवन से जमाबंदी तैयारी करते समय नामान्तकरण पुस्त पर नवीन जमाबंदी अमल खाता संख्या का इन्द्राज कर दिया था जिसे बाद में आईएलआर जांच के दौरान उक्त नामान्तकरण को जमाबंदी से पृथक कर दिया। उक्त नामान्तकरण शामिल योग्य नही था क्योंकि पटवारी 25.03.2019 को नामान्तकरण भरा आईएलआर ने दिनांक 25.03.2019 को जांच दिया और पंचायत द्वारा दिनांक 05.03.18 को तस्दीक किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जवाब इस प्रकार पेश किया कि ग्राम पंचायत बापूगांव को आपके द्वारा दिये गये नोटिस के द्वारा सूचना दी गयी कि ग्यारसीलाल पुत्र रामकुंवार के हकत्याग मे दी गयी है। जिसकी ग्रम पंचायत पाक्षिक बैठक दिनांक 05.03.2019 प्रस्ताव संख्या 5 में कोटखावदा चपरासी रामस्वरूप बैरवा ने पुस्तिका पेश की जिसमें नामांकन संख्या 859 में बद्री पुत्र रामकुंवार शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

निवासी बापूगांव ने अपने भाई ग्यारसीलाल पुत्र रामकुंवार निवासी बापूगांव को अपनी खातेदारी जमीन से हक त्याग करने का नामांकन पेश किया जो सर्वसम्मति से नामांकन संख्या 859 स्वीकार किया गया। जिसकी नकल संलग्न है। जवाब रेस्पोडेंट संख्या 1 व 4 का पेश होने पर बहस अपील अपीलांट वकील की सुनी गयी तो अपीलांट वकील ने अपील का समर्थन करते हुये कथन किया उक्त नामान्तकरण में त्रुटि तारीख की मुताबिक ग्राम पंचायत को बैठक कार्यवाही रजिस्ट्रर से भली प्रकार साबित होती कि नामान्तकरण दिनांक 05.03.2019 को ही तस्दीक किया गया है उक्त नामान्तकरण अगर 25.03.2019 को पंचायत में पेश किया गया तो पंचायत कोरम रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 5 मे किस प्रकार शामिल किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि नामान्तकरण संख्या 859 दिनांक 05. 03.2019 को भरा गया है उक्त नामान्तकरण पर त्रुटि वश गलत तारीख 25.03.2019 दर्ज हो गयी जो एक मानवीय भूल होने से उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर पुनः नामान्तकरण का बाद जांच तस्दीक किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 859 निरस्त किया जाता है व तहसीलदार कोटखावदा को रिमाण्ड किया जाता है कि पुनः जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण स्वीकार किये

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जाने की कार्यवाही करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार को जारी हो पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.12 16:23:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: